

औद्योगिक अल्कोहल वनियमन

प्रलिस के लयः

[सर्वोच्च नयायालय](#), [भारत के मुख्य नयायाधीश](#), [उत्पाद शुल्क](#), [वस्तु एवं सेवा कर \(GST\)](#), सातवीं अनुसूची

मेन्स के लयः

नीतयः के नरमाण और कार्यानवयन से उत्पन्न मुद्दे, राज्य के राजस्व सृजन में उत्पाद शुल्क की भूमिका और इसका प्रभाव

[स्रोत: इंडयन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में कयों?

[भारत के मुख्य नयायाधीश \(CJI\)](#) के नेतृत्व में [सर्वोच्च नयायालय](#) वर्तमान में **9 नयायाधीशों की संवधान पीठ** के साथ एक मामले की सुनवाई कर रही है। यह मामला इस प्रश्न से संबंधित है कि क्या राज्यों के पास औद्योगिक अल्कोहल पर उत्पाद शुल्क को वनियमन करने और लगाने का अधिकार है।

नोट:

- मादक पेय पदार्थों के वपिरीत, औद्योगिक अल्कोहल **मानव उपभोग (वकृत) के लयः नहीं** है। इसका अनुप्रयोग वभिन्न कषेत्रों में होता है, जसमें फारमास्यूटकिल्स, कीटाणुनाशक, रसायन और यहाँ तक कि जैव ईंधन का नरमाण भी शामिल है।

औद्योगिक अल्कोहल के संबंध में संवधानिक ववाद क्या है?

- संवधानिक ढाँचा:**
 - राज्य सूची (प्रवषिट 8):** भारतीय संवधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रवषिट 8 मादक अल्कोहल के उत्पादन, नरमाण, अधिकार, परविहन, खरीद और बक्री से संबंधित कानून बनाने की राज्य सरकारों की शक्ति से संबंधित है।
 - संघ सूची (प्रवषिट 52):** यह संसद को सार्वजनिक हति में समीचीन समझे जाने वाले उद्योगों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करती है।
 - समवर्ती सूची (प्रवषिट 33):** राज्यों और केंद्र दोनों को उद्योगों पर कानून बनाने की अनुमति देती है, इस शर्त के साथ कि राज्य के कानून केंद्रीय कानूनों का खंडन नहीं कर सकते।
 - औद्योगिक अल्कोहल **उद्योग (विकास और वनियमन) अधनियम, 1951 (IDRA)** के अंतर्गत आता है, जो इसे वनियमन की वस्तु के रूप में सूचीबद्ध करता है। संसद का यह अधनियम केंद्र सरकार को औद्योगिक अल्कोहल को वनियमन करने की शक्ति प्रदान करता है।
- मुख्य मुद्दा:**
 - केंद्रीय प्रश्न यह है कि क्या राज्यों के पास औद्योगिक अल्कोहल को वनियमन करने की स्वायत्तता है या क्या विशेष नयंत्रण केंद्र के पास है।
- कानूनी व्याख्या:**
 - समवर्ती सूची** के वषियों को **राज्य और केंद्र दोनों द्वारा वनियमन किया जा सकता है**, लेकिन राज्य के कानून केंद्रीय कानून के साथ टकराव नहीं कर सकते।
 - IDRA 1951, जो औद्योगिक अल्कोहल को सूचीबद्ध करता है, वषिय वस्तु पर केंद्रीय नयंत्रण की व्याख्या करता है।

राज्यों के तर्क क्या हैं?

- प्रवषिट 8 की व्याख्या:**

वशिषताएँ	परशुद्ध अलकोहल	वकृतीकृत अलकोहल
घटक	शुद्ध इथेनॉल (C ₂ H ₅ OH) न्यूनतम या बनिा कसीं योजक/वकृतीकरण के	इथेनॉल (C ₂ H ₅ OH) योजक/वकृतीकरण की उच्च सांद्रता के साथ ।
सुरक्षा	पीने योग्य लेकिन अत्यधिक सावधानी के साथ सेवन कया जाना चाहये ।	वषिला और उपभोग के लये अनुपयुक्त ।
अनुप्रयोग	प्रयोगशाला अनुप्रयोग (उदाहरण के लये सतहों को कीटाणुरहति करना, रसायन नकालना), चकितिसा अनुप्रयोग (उदाहरण के लये, उपकरणों को स्टरलाइज़ करना, आदी)	औद्योगिक उपयोग (उदाहरण के लये, ईंधन, सफाई सॉल्वेंट्स), वषिकतता के कारण चकितिसा या प्रयोगशाला सेटगिस में उपयोग नही कया जा सकता है ।
गंध और स्वाद	वशिषिट अलकोहलक गंध, थोड़ा मीठा स्वाद	दुरगंध, कड़वा स्वाद
कराधान	इसकी शुद्धता के कारण उच्च करों की संभावना है ।	पीने योग्य इसकी अनुपयुक्तता के कारण कम कर दर या कर-मुक्त

दृष्ट भेन्स प्रश्न:

प्रश्न . औद्योगिक शराब पर उत्पाद शुल्क लगाने और वनियमति करने के राज्यों के अधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामले के महत्त्व पर चर्चा कीजये । इसके परणाम केंद्र - राज्य संबंधों और अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावति कर सकते हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष प्रश्न

??????:

प्रश्न. उन अप्रत्यक्ष करों को गनाइये जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) में सम्मलित कये गए हैं । भारत में जुलाई, 2017 से क्रयान्वति GST के राजस्व नहितारर्थों पर भी टपिपणी कीजये । (2019)

प्रश्न. संवधान (एक सौ एक संशोधन) अधनियम, 2016 के प्रमुख अभलिक्षणों को समझाइये । क्या आप समझते हैं कयिह "करों के सोपानक प्रभाव को समाप्त करने में और माल तथा सेवाओं के लये साझा राष्ट्रीय बाज़ार उपलब्ध कराने" में काफी प्रभावकारी है? (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/industrial-alcohol-regulation>

